न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 19/2020

1. प्रवीण कुमार यादव पुत्र गोकुलराम यादव, जाति अहीर, निवासी सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र मेदाराम जाति अहीर, निवासी सिहोड़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनू ।

रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम प्रवीण कुमार वगैरह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 188/2019 निर्णय दिनांक 28.2.2020

उपस्थिति:–

1 .श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट ————————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 16.9.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.2.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम प्रवीण कुमार वगैरा मु0नं0 19/2019 उ. धारा [illegible]र.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई [illegible] तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत का निर्णय [illegible] पत्रावली होने से [illegible] होने योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा [illegible]लत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

की किस्म चाही दर्ज कर रखी है तथा सिवाय चक को काटकर जैन मंदिर श्री मुकन्ददेव की दर्ज कर रखा है। उक्त भूमि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक ना तो राजकीय है तथा ना ही गोचर व चोब है। फर्द मौका रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि खसरा नंबर 346 रकबा 0.15 हैक्टर चाही जिसको मंदिर श्री मुकन्ददेव जी की खातेदारी में दर्ज बताया है। खातेदारी में दर्ज भूमि की धारा 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती। धारा 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही राजकीय भूमि पर चलती है। अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर सम्वत 2009 से काश्त करते हैं वह काबिज है तथा मेदा पुत्र गुमाना सम्वत 2012 में उक्त भूमि का उप काश्तकार रहा है। इसलिए अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है। धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसके तहत अपीलार्थीगण को बेदखल नहीं किया जा सकता। तहसीलदार सक्षम न्यायालय में दावा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। समस्त कार्यवाही कानून की मंशा के विपरित जाकर की गई है। नायब तहसीलदार ने प्रवीणकुमार व जगदीश प्रसाद के खिलाफ सामुहिक रूप से धारा 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही की है जो कानून पृथक–पृथक रूप से की जाती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 28.2.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अदालत मातहत के समक्ष हल्का पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। भूमि की किस्म चाही दर्ज कर रखी है तथा सिवाय चक को काटकर जैन मंदिर श्री मुकन्ददेव की दर्ज कर रखा है। उक्त भूमि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक ना तो राजकीय है तथा ना ही गोचर व चोब है। फर्द मौका रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि खसरा नंबर 346 रकबा 0.15 हैक्टर चाही जिसको मंदिर श्री मुकन्ददेव जी की खातेदारी में दर्ज बताया है। खातेदारी में दर्ज भूमि की धारा 91 की कार्यवाही नहीं चल सकती। धारा 91 एल0आर0 एक्ट की कार्यवाही राजकीय भूमि पर चलती है। अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर सम्वत 2009 से काश्त करते हैं वह काबिज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

तथा मेदा पुत्र गुमाना सम्वत 2012 में उक्त भूमि का उप काश्तकार रहा है। इसलिए अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है। धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसके तहत अपीलार्थीगण को बेदखल नहीं किया जा सकता। तहसीलदार सक्षम न्यायालय में दावा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। नायब तहसीलदार ने प्रवीणकुमार व जगदीश प्रसाद के खिलाफ सामुहिक रूप से धारा 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही की है जो कानून पृथक–पृथक रूप से की जाती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 28.2.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा जैन मंदिर श्री मुकन्ददेव पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 28.2.2020 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हल्का पटवारी सिहोड़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट्स द्वारा भूमि खसरा नंबर 346 के रकबा 0.15 हैक्टर पर पक्के मकानात व चारदिवारी बनाकर अनाधिकृत अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा वैध साबित होता हो। राज्य सरकार द्वारा मंदिर की भूमियों पर अतिक्रमण होने पर संबंधित तहसीलदार को कार्यवाही करने के अधिकार दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.2.2020 उनवानी सरकार बनाम प्रवीण कुमार वगैर मु0नं0 188/2020 तय किया जाता है। मिसल मातहत अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.09 14:54:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 16.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.09.19 14:54:04 IST
Reason: SelfAttested